न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी | जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

राजस्व विविध : 156/2021

श्री सीमेंट लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस बांगड़ नगर, ब्यावर, जिला अजमेर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि स्वदेश सिंह पुत्र श्री जसवंत सिंह, आयु 49 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी बांगड़ नगर, ब्यावर, जिला अजमेर (राज.)

–प्रार्थी

–बनाम–

1. मूलसिंह पुत्र भंवरसिंह आयु वयस्क, जाति राजपूत, निवासी ग्राम गोठड़ा, तहसील नवलगढ, जिला झून्झुनू (राज.)।
2. नरपतसिंह पुत्र भोलूसिंह आयु वयस्क, जाति राजपूत, निवासी ग्राम गोठड़ा, तहसील नवलगढ, जिला झून्झुनू (राज.)।
3. इचरजकंवर पुत्री भोलूसिंह आयु वयस्क, जाति राजपूत, निवासी ग्राम गोठड़ा, तहसील नवलगढ, जिला झून्झुनू (राज.)।
4. उच्छनकंवर पुत्री भोलूसिंह आयु वयस्क, जाति राजपूत, निवासी ग्राम गोठड़ा, तहसील नवलगढ, जिला झून्झुनू (राज.)।
5. चांदकंवर पुत्री भोलूसिंह आयु वयस्क, जाति राजपूत, निवासी ग्राम गोठड़ा, तहसील नवलगढ, जिला झून्झुनू (राज.)।
6. छगनकंवर पुत्री भोलूसिंह आयु वयस्क, जाति राजपूत, निवासी ग्राम गोठड़ा, तहसील नवलगढ, जिला झून्झुनू (राज.)।
7. इन्द्रसिहं पुत्र किशनसिंह आयु वयस्क, जाति राजपूत, निवासी ग्राम गोठड़ा, तहसील नवलगढ, जिला झून्झुनू (राज.)।
8. छगनसिहं पुत्र किशनसिंह आयु वयस्क, जाति राजपूत, निवासी ग्राम गोठड़ा, तहसील नवलगढ, जिला झून्झुनू (राज.)।
9. भवानीसिहं पुत्र किशनसिंह आयु वयस्क, जाति राजपूत, निवासी ग्राम गोठड़ा, तहसील नवलगढ, जिला झून्झुनू (राज.)।
10. ओमकंवर पुत्री किशनसिंह आयु वयस्क, जाति राजपूत, निवासी ग्राम गोठड़ा, तहसील नवलगढ, जिला झून्झुनू (राज.)।
11. सोनकंवर पुत्री किशनसिंह आयु वयस्क, जाति राजपूत, निवासी ग्राम गोठड़ा, तहसील नवलगढ, जिला झुन्झुनू (राज.)।
12. सुप्यारकंवर पत्नि ज[illegible]सिंह आयु वयस्क, जाति राजपूत, निवासी ग्राम गोठड़ा, तहसील नवलगढ, जिला झुन्झुनू (राज.)।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:05:02 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

13. मदनसिंह पुत्र जग्गूसिंह आयु वयस्क, जाति राजपूत, निवासी ग्राम गोठड़ा, तहसील नवलगढ, जिला झून्झुनू (राज.)।
14. बद्रीसिंह पुत्र जग्गूसिंह आयु वयस्क, जाति राजपूत, निवासी ग्राम गोठड़ा, तहसील नवलगढ, जिला झून्झुनू (राज.)।
15. गिरधारीसिंह पुत्र जग्गूसिंह आयु वयस्क, जाति राजपूत, निवासी ग्राम गोठड़ा, तहसील नवलगढ, जिला झून्झुनू (राज.)।
16. महाबीरसिंह पुत्र जग्गूसिंह आयु वयस्क, जाति राजपूत, निवासी ग्राम गोठड़ा, तहसील नवलगढ, जिला झून्झुनू (राज.)।
17. प्रकाशकंवर पुत्री जग्गूसिंह आयु वयस्क, जाति राजपूत, निवासी ग्राम गोठड़ा, तहसील नवलगढ, जिला झून्झुनू (राज.)।
18. मन्जूकंवर पुत्री जग्गूसिंह आयु वयस्क, जाति राजपूत, निवासी ग्राम गोठड़ा, तहसील नवलगढ, जिला झून्झुनू (राज.)।
19. लालसिंह पुत्र बादरसिंह उर्फ भागीरथ सिंह आयु वयस्क, जाति राजपूत, निवासी ग्राम गोठड़ा, तहसील नवलगढ, जिला झून्झुनू (राज.)।
20. सवाईसिंह पुत्र बादरसिंह उर्फ भागीरथ सिंह के कायम मुकाम
    20/1 दशरथ सिंह पुत्र सवाईसिंह आयु वयस्क जाति राजपूत
    20/2 धापूकंवर पत्नी सवाईसिंह आयु वयस्क जाति राजपूत
    20/3 सदाकंवर पुत्री सवाईसिंह पत्नी भंवरसिंह आयु वयस्क जाति राजपूत निवासी ग्राम राजलिया तहसील नावां जिला नागौर (राज.)
    20/4 हवाकंवर पुत्री सवाईसिंह पत्नी जीवराजसिंह आयु वयस्क जाति राजपूत निवासी ग्राम राजलिया तहसील नावां जिला नागौर (राज.)
    20/5 रसालकंवर पुत्री सवाईसिंह पत्नी नरेन्द्रसिंह आयु वयस्क जाति राजपूत निवासी ग्राम खोजास तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)
    20/6 कमलकंवर पुत्री सवाईसिंह पत्नी भंवरसिंह आयु वयस्क जाति राजपूत निवासी ग्राम पीड़वा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)
    20/7 नरेन्द्रसिंह पुत्र मनोहरसिंह आयु वयस्क जाति राजपूत
    20/8 सुरेन्द्रसिंह पुत्र मनोहरसिंह आयु वयस्क जाति राजपूत
    20/7 सन्तोष कंवर पत्नी मनोहरसिंह आयु वयस्क जाति राजपूत निवासी ग्राम गोठड़ा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज.)
    20/6 टंवर कंवर पुत्री मनोहरसिंह पत्नी निरंजनसिंह आयु वयस्क जाति राजपूत निवासी ग्राम मडुकरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)
21. श्रवणसिंह पुत्र सलाबसिंह आयु वयस्क, जाति राजपूत, निवासी ग्राम गोठड़ा, तहसील नवलगढ, जिला झून्झुनू (राज.)।
22. गिरवरसिंह पुत्र सलाबसिंह आयु वयस्क, जाति राजपूत, निवासी ग्राम गोठड़ा, तहसील नवलगढ, जिला झून्झुनू (राज.)।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Goura
Date: 2023.08.04 12:05:02 IST
Reason: SelfAttested

23. प्रेमकंवर पुत्री सलाबसिंह आयु वयस्क, जाति राजपूत, निवासी ग्राम गोठड़ा, तहसील नवलगढ, जिला झून्झुनू (राज.)।

24. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील नवलगढ़, जिला झुन्झुनू (राज.)।

–अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956</u>

उपस्थिति :–

1. श्री अमित कुमार अधिवक्ता..................................प्रार्थी की ओर से।
2. श्री उम्मेदराज अधिवक्ता ....अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4, 5 व 6 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 24 की ओर से।

<u>–निर्णय–</u>

दिनांक 11.07.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरुद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि– प्रार्थी को खान एवं भू विज्ञान राजस्थान सरकार द्वारा खनन पटटा एम. एल. न. 47/2007 खान ग्रुप–2 विभाग के आदेश क्रमांक प.2(113) खान/ग्रुप–2/2007/ दिनांक 12.04.2019 के आदेश द्वारा खनन पट्टा वास्ते खनिज लाईमस्टोन निकट ग्राम परसरामपुरा (गोठड़ा), तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनूं में 6.24 वर्ग कि.मी. भूमि हेतु स्वीकृत किया गया है। प्रार्थी के पक्ष में उक्त खनन पट्टा राजस्थान सरकार की ओर से निष्पादित है, उक्त खनन पट्टा की लीज डीड दिनांक 18.04.2019 को निष्पादित की जाकर दिनांक 08.05.2019 को उप पंजीयक महोदय नवलगढ़ के कार्यालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त खनन पटटा वास्ते खनन लाईम स्टोन निकट ग्राम परसरामपुरा (गोठडा) तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू में प्रार्थी कम्पनी को एक निश्चित अवधि के लिए जो इस संबंध में समय समय पर लागू संशोधित विधियों के अधीन है के लिए दिया गया है। लीजडीड के अनुसार प्रार्थी को ग्राम गोठड़ा तहसील नवलगढ में अवस्थित भूमि जिनके खसरा नम्बर पृथक पृथक है के खातेदारान से भूमि अवाप्त कर कम्पनी खनन कार्य करने हेतु प्रक्रियाधीन है। ग्राम गोठड़ा के नया खाता संख्या 128 खसरा संख्या 1116 रकबा 0.5100 हैक्टेयर किस्म बारानी–2, खसरा संख्या 1117 रकबा 0.5100 हैक्टेयर किस्म बारानी–2, खसरा संख्या 1118 रकबा 0.8200 हैक्टेयर किस्म बारानी–2 कुल रकबा 1.8400 हैक्टेयर भूमि [illegible] संख्या 1 से लगायत 23 का हिस्सा सम्पूर्ण अर्थात 1.8400 [illegible] की है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त भूमि में सह खातेदार भंवरकंवर पत्नी [illegible]सिंह के फोत होने के कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:05:02 IST
Reason: SelfAttested

झुन्झुनू

उनके कानूनी वारिसान अप्रार्थी संख्या 2 से 6 को पक्षकार बनाया गया है, किशनसिंह पुत्र भंवरसिंह के फोत होने के कारण उनके कानूनी वारिसान अप्रार्थी संख्या 7 से 11 को पक्षकार बनाया गया है, जग्गुसिंह पुत्र भंवरसिंह के फोत होने के कारण उनके कानूनी वारिसान अप्रार्थी संख्या 12 से 18 को पक्षकार बनाया गया है, भागीरथसिंह उर्फ बादरसिंह पुत्र किनकसिंह के फोत होने के कारण उनके कानूनी वारिसान अप्रार्थी संख्या 19 से 23 को पक्षकार बनाया गया है। उक्त भूमि जो प्रार्थी ईकाई को खनन एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र में अवस्थित है, जिसमें प्रार्थी ईकाई द्वारा अपने लीज क्षेत्र में खनन तथा समनुंषगी कार्य (subsidiary purposes) के उपयोगार्थ राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 89 (2) में वर्णित कार्य हेतु आवश्यकता जाहिर की है एवं यह कथन किया कि इसके अभाव में प्रार्थी कम्पनी खनन पटटा क्षेत्र के उक्त भाग में खनन कार्य नही कर सकते तथा इसके अभाव में प्रार्थी कम्पनी अपने उद्योग को नही चला पायेगी तथा उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पडेगा। इस कारण उक्त आराजी का उपयोग एवं आधिपत्य प्रार्थी ईकाई को प्रदान कराना आवश्यक है। अप्रार्थी की उक्त भूमि का मुआवजा अदा करने हेतु प्रार्थी कम्पनी तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र अं0 धारा 89 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार कर उपरोक्त भूमि के मुआवजे का निर्धारण कर भूमि प्रार्थी कम्पनी को खनन कार्य व समनुंषगी कार्य (subsidiary purposes) के उपयोगार्थ उपलब्ध कराने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्राथीगण को तारीख पेशी की सूचना नकल प्रार्थना पत्र के साथ भेजकर दी गई। क्षतिपूर्ति मुआवजा/मौका जांच रिपोर्ट तलब की गई। मौका जांच/मुआवजा क्षतिपूर्ति रिपोर्ट प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी कम्पनी को खान एवं भू विज्ञान राजस्थान सरकार द्वारा खनन पटटा एम. एल. न. 47/2007, खान ग्रुप–2 विभाग के आदेश क्रमांक प.2(113) खान/ग्रुप–2/2007/ दिनांक 12.04.2019 के आदेश द्वारा खनन पट्टा वास्ते खनिज लाईमस्टोन निकट ग्राम परसरामपुरा (गोठड़ा), तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनूं में 6.24 वर्ग कि.मी. भूमि खनन कार्य हेतु स्वीकृत किया गया है। प्रार्थी के पक्ष में उक्त खनन पट्टा राजस्थान सरकार की ओर से निष्पादित है, उक्त खनन पट्टा की लीज डीड दिनांक 18.04.2019 को निष्पादित की जाकर दिनांक 08.05.2019 को उप पंजीयक महोदय नवलगढ़ के कार्यालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त खनन पटटा वास्ते खनन लाईम स्टोन निकट ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं में प्रार्थी कम्पनी को एक निश्चित अवधि के लिए इस संबंध मे समय समय पर लागू संशोधित विधियों के अधीन है के लिए दिया गया है। लीजडीड के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:05:02 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

प्रार्थी को ग्राम गोठड़ा तहसील नवलगढ में अवस्थित भूमि जिनके खसरा नम्बर पृथक पृथक है के खातेदारान से अवाप्त कर कम्पनी खनन कार्य करने हेतु प्रक्रियाधीन है। ग्राम गोठड़ा के नया खाता संख्या 128 खसरा संख्या 1116 रकबा 0.5100 हैक्टेयर किस्म बारानी–2, खसरा संख्या 1117 रकबा 0.5100 हैक्टेयर किस्म बारानी–2, खसरा संख्या 1118 रकबा 0.8200 हैक्टेयर किस्म बारानी–2 कुल रकबा 1.8400 हैक्टेयर भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 23 का हिस्सा सम्पूर्ण अर्थात 1.8400 हैक्टेयर भूमि खातेदारी की है, प्रार्थना पत्र वर्णित वादग्रस्त भूमि में सह खातेदार भंवरकंवर पत्नी भोलूसिंह के फोत होने के कारण उनके कानूनी वारिसान अप्रार्थी संख्या 2 से 6 को पक्षकार बनाया गया है, किशनसिंह पुत्र भंवरसिंह के फोत होने के कारण उनके कानूनी वारिसान अप्रार्थी संख्या 7 से 11 को पक्षकार बनाया गया है, जग्गुसिंह पुत्र भंवरसिंह के फोत होने के कारण उनके कानूनी वारिसान अप्रार्थी संख्या 12 से 18 को पक्षकार बनाया गया है, भागीरथसिंह उर्फ बादरसिंह पुत्र किनकसिंह के फोत होने के कारण उनके कानूनी वारिसान अप्रार्थी संख्या 19 से 23 को पक्षकार बनाया गया है। जिसको तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में भी उक्त वारिसान के नाम से उनके हिस्से की भूमि का मुआवजा तय करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उक्त भूमि जो प्रार्थी ईकाई को खनन एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र में अवस्थित है, जिसमें प्रार्थी ईकाई द्वारा अपने लीज क्षेत्र में खनन तथा समनुंषगी कार्य (subsidiary purposes) के उपयोगार्थ राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 89 (2) में वर्णित कार्य हेतु आवश्यकता जाहिर की है एवं यह कथन किया कि इसके अभाव में प्रार्थी कम्पनी खनन पटटा क्षेत्र के उक्त भाग में खनन कार्य नही कर सकते तथा इसके अभाव में प्रार्थी कम्पनी अपने उद्योग को नही चला पायेगी तथा उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पडेगा। इस कारण उक्त आराजी का उपयोग एवं आधिपत्य प्रार्थी ईकाई को प्रदान कराना आवश्यक है। अप्रार्थी की उक्त भूमि का मुआवजा अदा करने हेतु प्रार्थी कम्पनी तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र अं0 धारा 89 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार कर उपरोक्त भूमि के मुआवजे का निर्धारण कर भूमि प्रार्थी कम्पनी को खनन कार्य व समनुंषगी कार्य (subsidiary purposes) के उपयोगार्थ उपलब्ध कराने के आदेश फरमावे।

अप्रार्थी संख्या–2, 3, 4, 5 व 6 की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को खनन पटटा लीज डीड की प्रति उपलब्ध नही करवाई गयी तथा उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण काश्त कर रहे है। तथा उनका सम्पूर्ण परिवार उक्त भूमि के कृषि उत्पाद पर निर्भ[illegible]के पास उक्त भूमि के आलावा जीविकोपार्जन का अन्य कोई [illegible] भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी है, खसरा गिरदावरी में [illegible] है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:05:02 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे। तथा यह भी कथन किया कि माननीय न्यायालय से निवेदन है कि यदि प्रार्थी कम्पनी को अप्रार्थीगण की भूमि खनन कार्य हेतु उपलब्ध कराने का आदेश पारित किया जाता है तो अप्रार्थीगण को Right to Fair Compensation And transparency In Land Acquisition, Rehabilitation And Resettlement Act.2013 के तहत अप्रार्थीगण को नियमानुसार उचित, अधिकतम मुआवजा दिलाया जावे।

अप्रार्थी संख्या–1 व 7 से लगायत 23 बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस बताया कि उक्त भूमि का खनन पट्टा प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में राजस्थान सरकार की ओर से निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा की लीज डीड दिनांक 18.04.2019 को निष्पादित की जाकर दिनांक 08.05.2019 को उप पंजीयक महोदय नवलगढ़ के कार्यालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त खनन पटटा वास्ते खनन लाईम स्टोन निकट ग्राम परसरामपुरा (गोठडा) तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं में प्रार्थी कम्पनी को एक निश्चित अवधि के लिए जो इस संबंध मे समय समय पर लागू संशोधित विधियों के अधीन है के लिए दिया गया है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत क्षतिपूर्ति मुआवजा रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जावे।

मेरे द्वारा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी कम्पनी को माईनिंग लीज प्राप्त है। तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रेषित मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि प्रार्थी ईकाई की माईनिंग लीज क्षेत्र ग्राम गोठड़ा के नया खाता संख्या 128 खसरा संख्या 1116 रकबा 0.5100 हैक्टेयर किस्म बारानी–2, खसरा संख्या 1117 रकबा 0.5100 हैक्टेयर किस्म बारानी–2, खसरा संख्या 1118 रकबा 0.8200 हैक्टेयर किस्म बारानी–2 कुल रकबा 1.8400 हैक्टेयर भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 23 का हिस्सा सम्पूर्ण अर्थात 1.8400 हैक्टेयर भूमि खातेदारी की है, जो लीज क्षेत्र में आयी हुई है। तहसीलदार नवलगढ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त आराजी की वर्तमान डी.एल.सी. दर 3,65,961/–रुपये प्रति हैक्टेयर होती है, तथा प्रश्नगत भूमि नगरपालिका क्षेत्र से 16 किलो मीटर की दूरी पर स्थित है। तहसीलदार नवलगढ की मौका जांच रिपोर्ट में उक्त आराजियात पर स्थित पेड़ पौधो की संख्या एवं कीमत अंकित की गई है। खनन एवं समनुषंगी कार्यो हेतु प्रार्थी को उक्त भूमि की आवश्यकता है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 89 (4) के [illegible] खनिज सम्पदा के दोहन से यदि किसी व्यक्ति के अधिकारो का उल्लंघन होता है तो उस व्यक्ति को सुना जाकर राज्य सरकार या उसका अभिहस्तांकिती ऐसे व्यक्तियो को इस प्रकार के उल्लंघन

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:05:02 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

के लिये प्रतिकर देगा एवं ऐसे प्रतिकर की धनराशि का निर्धारण भू अवाप्ति अधिनियम 2013 के प्रावधानो के अनुसार इस न्यायालय द्वारा किया जाना है।

राजस्व (ग्रुप 6) विभाग अधिसूचना क्रंमाक पं.1 (3) राज–6/2011/पार्ट/14 दिनांक 16.10.14 के अनुसार प्राइवेट कम्पनी द्वारा भूमि अर्जन करने की स्थिति मे पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था के प्रावधान लागू करने के लिए अवाप्ति भू क्षेत्र की सीमा ग्रामीण क्षेत्र में 1000 हैक्टयर तथा शहरी क्षेत्र में 200 हैक्टेयर है। प्रार्थी कम्पनी का अवाप्ति क्षेत्र उक्त सीमा से कम होने से उक्त प्रावधान लागू नही होते है। भूमि अवाप्ति के सम्बंध मे नया भूमि अवाप्ति पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 दिंनाक 01 जनवरी 2014 से लागू होकर, उनके प्रावधानों के अनुसार ही भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया एवं भूस्वामियों को दिये जाने वाले मुआवजे का निर्धारण किया जाना है। चूंकि राज्य सरकार की ओर से भूमि अवाप्ति के सम्बन्ध में अलग से कोई भूमि अवाप्ति अधिनियम लागू नही किया गया है, अतः प्रकरण में नए एक्ट के प्रावधानो के अनुसार ही मुआवजे का निर्धारण किया जाना है। नये भूमि अवाप्ति पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानो के अनुसार अनुसूचि प्रथम में भूमि धारको को प्रतिकर के बारे मे उल्लेख किया गया है, जिसके क्रम संख्या 1 से 6 के अर्न्तगत कुल प्रतिकर की गणना की किस प्रकार की जायेगी, का क्रमवार उल्लेख किया गया है। एवं उक्त अनुसूची की क्रम संख्या 2 के अनुसार दिये जाने वाले प्रतिकर के कारको 1 से 2 जो कि प्रस्तावित प्रोजेक्ट की दूरी पर आधारित होगा, जैसा कि संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, क्रम संख्या 4 में भूमि से जुडी हुई सम्पत्तियों के निर्धारण एवं क्रम संख्या 5 मे तोषण का निर्धारण किस प्रकार किया जायेगा, का उल्लेख किया गया है।

तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि की दूरी निकटतम नगरपालिका क्षेत्र से 16 कि.मी. है एवं उपरोक्त उल्लेखित राजस्व (ग्रुप–6) विभाग अधिसूचना क्रंमाक पं.1(3) राज–6/2011/पार्ट/26 दिनांक 14.06.16 में उल्लेखित भूमि का गुणक, जिससे बाजार मूल्य गुणित किया जावेगा वह 1.50 है तथा गुणित किये गये उक्त बाजार मूल्य में एक्ट की अनुसूची के प्रावधानो के अनुसार पेड़ पौधो व संपति की कीमत को जोडा जाना है एवं धारा 30(1) के अनुसार ऐसी राशि की शत प्रतिशत तोषण की राशि होगी। प्रार्थी को राज्य सरकार के खनन विभाग द्वारा विधिक प्रावधानो के अन्तर्गत खनन कार्य हेतु खनन पटटा पंजीयन की तिथि 08.05.2019 से 50 वर्ष तक की अवधि के लिए प्रदान किया गया है, जिसके खनन कार्य व सहायक कार्य हे[illegible] भूमि चाही जाने से इस भूमि के खातेदार के सरफेस राईट [illegible] खातेदार अप्रार्थी को प्रतिकर राशि का भुगतान किया जाना आवश्यक [illegible] ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:05:02 IST
Reason: SelfAttested

एवं परिस्थितियों को देखते हुये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 89 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में प्रतिकर का निर्धारण खातेदारान को निम्न सारणी के अनुसार गणना कर किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 खातेदारान का हिस्सा निम्नानुसार हैः– मूलसिंह पुत्र भंवरसिंह 1/12, नरपतसिंह पुत्र भोलूसिंह 1/10, इचरजकंवर पुत्री भोलूसिंह 1/10, उच्छनकंवर पुत्री भोलूसिंह 1/10, चांदकंवर पुत्री भोलूसिंह 1/10, छगनकंवर पुत्री भोलूसिंह 1/10, इन्द्रसिंह पुत्र किशनसिंह 1/60 छगनसिंह पुत्र किशनसिंह 1/60, भवानीसिंह पुत्र किशनसिंह 1/60, ओमकंवर पुत्री किशनसिंह 1/60, सोनकंवर पुत्री किशनसिंह 1/60, सुप्यारकंवर पत्नी जग्गुसिंह 1/84, मदनसिंह पुत्र जग्गुसिंह 1/84, बद्रीसिंह पुत्र जग्गुसिंह 1/84 गिरधारीसिंह पुत्र जग्गुसिंह 1/84, महाबीरसिंह पुत्र जग्गुसिंह 1/84, प्रकाशकंवर पुत्री जग्गुसिंह 1/84, मन्जूकंवर पुत्री जग्गुसिंह 1/84, लालसिंह पुत्र बादरसिंह उर्फ भागीरथसिंह 1/12, दशरथसिंह पुत्र सवाईसिंह 1/84, धापूकंवर पत्नी सवाईसिंह 1/84, सदाकंवर पुत्री सवाईसिंह 1/84, हवाकंवर पुत्री सवाईसिंह 1/84, रसालकंवर पुत्री सवाईसिंह 1/84,कमलकंवर पुत्री सवाईसिंह 1/84, नरेन्द्रसिंह पुत्र मनोहरसिंह 1/336, सुरेन्द्रसिंह पुत्र मनोहरसिंह 1/336, सन्तोषकंवर पत्नी मनोहरसिंह 1/336, टंवर कंवर पुत्री मनोहरसिंह 1/336, श्रवणसिंह पुत्र सलाबसिंह 1/36 गिरवरसिंह पुत्र सलाबसिंह 1/36, प्रेमकंवर पुत्री सलाबसिंह 1/36 है।

क्रं. सं.	खातेदार का नाम जिसका विवरणजमाबंदी में अंकित है	खसरा नं.	रकबा जिसका प्रतिकर निर्धारण किया जाना	भूमि किस्म	डी.एल. सी.दर प्रति हैक्टेयर	राशि (कालम संख्या 3X5)	नगर पालिका से दूरीकिमी मे व उसके अनुसार गुणक		कुल राशि (कॉलम संख्या 6 X 8) रु.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	उपरोक्तानुसार	1116	0.5100 हैक्टेयर	बारानी–2	365961	186640	19	1.50	279960
		1117	0.5100 हैक्टेयर	बारानी–2	365961	186640	19	1.50	279960
		1118	0.8200 हैक्टेयर	बारानी–1	365961	300088	19	1.50	450132
B	योग	3	1.8400						1010052
C	प्रभावित भूमि पर अवस्थित पेड़ो की मालियत								62000
D	अन्य संरचना (धोरा एवं तारबन्दी वगैरा) निर्माण नही है								0
E	योग (कॉलम संख्या B+C+D)								1072052
F	तोषण 100 प्रतिशत (कॉलम E के समान राशि)								1072052
G	कुल देय प्रतिकर राशि (E+F)								2144104

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:05:02 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

अतः आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी कम्पनी उपरोक्त मुआवजा राशि के पुर्णाक राशि रुपये 21,44,104/–(अक्षरे इक्कीस लाख चवालीस हजार एक सौ चार रुपये मात्र) अप्रार्थी के नाम से चैक बनाकर तहसीलदार नवलगढ को एक माह की अवधि में उपलब्ध करावे। **तहसीलदार नवलगढ उक्त आराजी के संबंध में राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार एवं वर्तमान कब्जे के सम्बंध में सन्तुष्टि के उपरान्त यदि भूमि बैंक के रहन है तो बैंक से बकाया ऋण जमा का अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही सम्बन्धित खातेदार को हिस्से के अनुरुप मुआवजा राशि का भुगतान कर प्रमाणित करेंगे। अपील अवधि गुजरने के पश्चात राजस्व रेकर्ड में भूमि बिलानाम (सिवायचक) माईनिंग लीज श्री सीमेंट लि. अंकित की जावें। उपरोक्त भूमि का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को दिलाया जावे।** प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का उपयोग प्रार्थी इकाई को लीज अवधि तक प्रचलित नियमों, निर्देशो, लीज डीड व विभागीय परिपत्रो के तहत एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 89(2) में वर्णित माईनिंग के सबंधित खनन कार्य व समनुषंगी कार्यो (subsidiary purposes) के लिए ही करने का अधिकार होगा। भविष्य में राज्य सरकार अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा राशि भुगतान में संशोधन किया जाता है तो प्रार्थी द्वारा अन्तर राशि की अदायगी नियमानुसार की जाएगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार नवलगढ/प्रार्थी कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट झुन्झुनू

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू(राज.)

निर्णय आज दिनांक 11.07.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:05:02 IST
Reason: SelfAttested